226 (1)

न्यायालय में माननीय सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प कोर्ट

रीवा (म0प्र0)

R-4311-II/12

1. मोतीलाल पिता चतुराई मनिका
2. बाबूलाल पिता चतुराई मनिका
3. रामभजन पिता ब्रजलाल यादव
4. शिवकुमार पिता गयाप्रसाद यादव
5. कुम्भकरण पिता सुग्रीव यादव
6. बाल्मीक पिता सुग्रीव यादव
7. सुन्दरलाल पिता ठकुरी यादव
8. बालकरण पिता सुग्रीव यादव
9. राजेन्द्र पिता रग्घू यादव

सभी निवासी ग्राम करपा थाना एवं तहसील जयसिंहनगर जिला शहडोल (म0प्र0) ------ निगरानी कर्ता गण

बनाम

1. श्यामलाल पिता शिवप्रसाद अहीर
2. प्रेम पिता शिवप्रसाद अहीर
3. कल्लू पिता शिवप्रसाद अहीर
4. सुरेन्द्र पिता शिवप्रसाद अहीर
5. राधे पिता शिवप्रसाद अहीर

सभी निवासी ग्राम करपा थाना एवं तहसील जयसिंहनगर जिला शहडोल (म0प्र0)

6. जोबिया पुत्री शिवप्रसाद पति खेल्ला अहीर निवासी ग्राम ठेंगरहा थाना एवं तहसील जयसिंहनगर जिला शहडोल (म0प्र0)

क्रमशः----/2

2- सुखरानिया तिता शिवप्रसाद पति जगदीश अहीर निवासी ग्राम अटारया थाना एवं तहसील जयसिंहनगर जिला शहडोल (म०प्र०)

------- उत्तरदाता गण

निगरानी विरुद्ध न्यायालय श्री मान् तहसीलदार महोदय तहसील जयसिंहनगर जिला शहडोल (म०प्र०) के राजस्व प्रकरण क्रमांक - 53/अ-6-अ/2010-11 एवं राजस्व प्रकरण क्रमांक - 53/अ-12/2010-11 आदेश दिनांक 24.01.2012 से परिवेदित होकर ।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू-रा०सं० 1959

मान्यवर,

मामला संक्षेप में यह है कि मौजा करना आ नं० 45 पटवारी हल्का पसौंद नं०-40 तहसील जयसिंहनगर जिला शहडोल (म०प्र०) में स्थित आराजी खसरा नम्बर 32/1 रकबा 45.17 एकड़ म०प्र० शासन राजस्व विभाग की भूमि है, जिसमें अंश रकबा 1.00 एकड़ में निगरानी कर्ता क्र०- 1, 1.00 ए० पर निगरानी कर्ता क्र०-2 ,0.75 एकड़, निगरानी कर्ता क्र०- 3 , 0.75, पर निगरानी कर्ता क्र०- 4 , 0.75 एकड़, निगरानी कर्ता क्र०-5, 0.75 एकड़, निगरानी कर्ता क्र०-6 , 2.00 ए० पर निगरानी कर्ता क्र०-7, 0.75 एकड़ पर निगरानी कर्ता क्र०-8 तथा 1.00 ए०, पर निगरानी कर्ता क्र०- 09 का पुश्तैनी रूप से 70-75 वर्ष पूर्व से स्वतंत्र पूर्वक भूमियों का सुधार कर कृषि कार्य कर कब्जा दखल मौके से विद्यमान है । उत्तरदाता गण खसरा क्र०- 32 में से 32/4 रकबा 5.00 एकड़ का भूमिस्वामी राजस्व रिकार्ड में बन गये है, किन्तु मौके से उनका कभी भी कब्जा दखल नहीं था । जबउत्तरदाता क्र०- 1 के द्वारा न्याया० श्री मान् तहसीलदार महोदय , तहसील जयसिंहनगर जिला शहडोल (म०प्र०) (जिसे इसके पश्चात केवल अधिनस्थ न्यायालय के नाम से सम्बोधित किया जावेगा) के न्यायालय में म०प्र० भू- रा०सं० 1959 की धारा 129 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर भूमि की पैमाइश कराया गयी तब निगरानी कर्ता गण को पता चला

(1)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक R4311-II/12 जिला–शहडोल

मोतीलाल पनिका वगैरः/ स्वामीदीन अहिर वगैरः

(1)	(2)	(3)
5 8 19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, तहसील जयसिंहनगर के प्रकरण क्रमांक 53/अ–6अ/2010–11 एवं प्रकरण क्रमांक 50/अ–12/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 24.01.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 23.10.19 को कलेक्टर, जिला शहडोल के समक्ष उपस्थित हो। (महेशचन्द्र चौधरी), सदस्य	